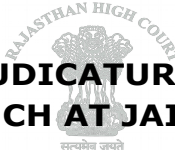




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 941/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1233/2025

Chotulal S/o Motilal, Aged About 45 Years, Resident Of Pikhariya
Ka Jhopra Bhimganj District Bundi (Raj) (At Present Confine Din
District Jail, Bundi (Raj)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bharat Yadav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

08/12/2025

- प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।
- प्रार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **सेशन न्यायाधीश, बूंदी** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **221/2023** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.04.2025 के माध्यम से धारा 341, 323, 324, 325 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम पांच वर्ष के **साधारण** कारावास की सजा से दंडित किया है।
- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई विश्वसनीय तथा विधितः स्वीकार्य सुदृढ साक्ष्य नहीं रही



है। उनका यह भी निवेदन है कि किसी भी आहत के कोई चोट कारित नहीं हुई है। अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है। दौराने अन्वीक्षा जमानत पर था, करीब साढ़े सात माह की सजा भुगत चुका है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त **छोटूलाल पुत्र मोतीलाल** इस न्यायालय में **दिनांक 08.01.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 24.04.2025** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J